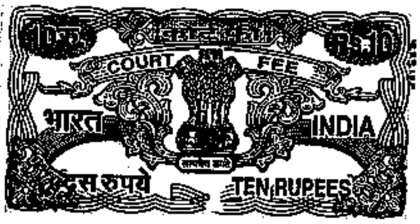

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–गुना निग–477–PBR–16

श्री .... द्वारा आज दि 04.3.16 को प्रस्तुत

लिपिक 4-3-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजबहादुर सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह राजपूत
निवासी–कुम्भराज तहसील कुम्भराज
जिला–गुना (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना (म.प्र.)

-- अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार कुम्भराज द्वारा प्रकरण क्रमांक री–1/2016 में की जा रही कार्यवाही एवं आदेश पत्रिका एवं सूचनापत्र दिनांक 17.02.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 777—पीबीआर / 16 [राजबहादुर/शासन] **जिला** गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12—5—2016	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 17—2—2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं कर मात्र प्रकरण दर्ज करते हुए आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	